भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या-05/2011-12

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 30.10.2021 अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदिका संगीता देवी, पति—खेन्नोमोहन महतो, निवासी—धातिकडीह, वार्ड नं0—15, चक्रधरपुर, पो0+थाना—चक्रधरपुर, जिला—प0 सिंहमूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84/2011—12, दिनांक—04.11. 2011 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #्यार्च किया विवरणी मीजा खाता नं0 प्लॉट नं0 रक्वा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 77(a) 0.04.803 ए० 77(b) 0.00.197 ए० खुल रकवा 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डाकिया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डाकिया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपर्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।	ŕ -					
पति—खेत्रोमोहन महतो, निवासी—धातिकडीह, वार्ड नं0—15, चक्रधरपुर, पो0+थाना—चक्रधरपुर, जिला—प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84/2011—12, दिनांक—04.11. 2011 में पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #ोजा खाता नं0 प्लॉट नं0 रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 77(a) 0.04.803 ए० 77(b) 0.00.197 ए० कुल रकवा 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।	तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर				गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी
पो०+धाना—चक्रधरपुर, जिला—प० सिंहमूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84/2011—12, दिनांक—04.11. 2011 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #सि का विवरणी #तेजा खाता नं० प्लॉट नं० रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं०—16 #तेजिज के न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।	20.10.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदिका संगीता देवी,				
पो०+धाना—चक्रधरपुर, जिला—प० सिंहमूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84/2011—12, दिनांक—04.11. 2011 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #सि का विवरणी #तेजा खाता नं० प्लॉट नं० रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं०—16 #तेजिज के न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		100 100 20 20 20 100 VOI				
चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84/2011—12, दिनांक—04.11. 2011 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #मूम का विवरणी #ौजा खाता नं0 प्लॉट नं0 रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 #वें नं0—16 #वें नं0—16 #वें नं0—16 #वें नं0—16 #वें नंव—16 #वें नंव—16						
2011 में पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के नामांतरण अपील वाद संख्या—05 / 2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #्भूम का विवरणी #ौजा खाता नं0 प्लॉट नं0 रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 #शेंच 77(a) 0.04.803 ए० 77(b) 0.00.197 ए० खुल रकवा 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या—84 / 2011—12, दिनांक—04.11.				
वाद संख्या—05/2011—12, दिनांक—17.01.2012 को दायर किया गया है। #मूम का विवरणी #ोजा खाता नं० प्लॉट नं० रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 #विवरणी 77(a) 0.04.803 ए० 77(b) 0.00.197 ए० खुल रकवा 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डाकिया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डाकिया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।						
मीजा खाता नं० प्लॉट नं० रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं०—16 अविदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।						
मौजा खाता नं0 प्लॉट नं0 रकवा नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0—16 149 77(a) 0.04.803 ए0 77(b) 0.05.000 ए0 आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।						
नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0–16 149 77(a) 0.04.803 ए0 77(b) 0.05.000 ए0 आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		भूमि का विवरणी				
वार्ड नं0—16 वार्ड नं0—16 गर्ति । 0.00.197 ए० खुल रकवा । 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डाकिया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डाकिया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		25.100 25.000	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	
वाड न0—16 77(b) 0.00.197 ए० कुल रकवा 0.05.000 ए० आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।			149	77(a)	0.04.803 ए0	
आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डाकिया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डाकिया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		वार्ड नं0—16		77(b)	0.00.197 ए०	
की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया। डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण—दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		कुल रकवा 0.05.000 ए०				
डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		आवेदिका को न्यायालय द्वारा निबंधित डाक से नोटिस भेजकर वाद				
डािकया द्वारा बताया गया कि आवेदिका वर्तमान में उक्त पता पर नहीं रह रही है। जिसके कारण डािकया द्वारा नोिटस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तािमला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।		2000 100 20 200 00 000 00 000 000 000 00				
रह रही है। जिसके कारण डाकिया द्वारा नोटिस अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।						
न्यायालय में बिना तामिला कराए ही वापस कर दिया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,						
अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,						
इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। क्रांक भूमि सुधार उपसमाहर्ता,						
की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता,	1	इस वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना ही नामांतरण अपील वाद				
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,						
भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।						
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।		भिम स्थार त्रायमादर्ना				
नाज़ावाद प्रमुद्दा		योदाहार चळधरण ।				
				শ(ড়া)	याच्याच्याच्या	